International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182 Print ISSN: 2349-5979
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 2; February 2016; Page No. 108-115

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में बाधाएँ : अध्ययन एवं सुझाव

[1] नेहा गोस्वामी, [2] आरती सिंह

[1] शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी), आगरा

[2] सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी), आगरा

सारांश

प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षा राष्ट्र की आधारशिला का कार्य करती है। विगत दो दशकों से भारत में प्राथमिक शिक्षा के पुर्नगठन और पुनरुद्धार के लिए सक्रियता बढ़ी है। दुर्भाग्य से शिक्षा के मात्रात्मक प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर निम्न होता जा रहा है। आरटीई कानून पढ़ाई जाने वाली चीजों के परिणाम और गुणवत्ता पर बिल्कुल मौन है। देश के लगभग सभी शिक्षाविद् व बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को तत्काल ऐसे सुधार की आवश्यकता है जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे सके और भविष्य में बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सभी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करके ही शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध–पत्र 'असर' की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए को रखने में अनुभव की गई कुछ प्रमुख बाधाओं का अध्ययन करके उनको दूर करने के सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, गुणवत्ता, स्वावलम्बनता, उत्तरदायित्व, रचनात्मकता

1 प्रस्तावना

शिक्षा मनुष्य को विकसित करती है, यह वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास होता है। उत्तम व समग्र शिक्षा बालक को न केवल सशक्त बनाती है अपितु उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक भी बनाती है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षा राष्ट्र की आधारशिला का कार्य करती है। विगत दो दशकों से भारत में प्राथमिक शिक्षा के पुर्नगठन और पुनरुद्धार के लिए सक्रियता बढ़ी है। सुदूर स्थानों तक शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने के लिए अनेक योजनायें चल रहीं हैं व तकनीकियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जिसके फलस्वरुप देश में विद्यालयों व विद्यार्थियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है किन्तु दुर्भाग्य से शिक्षा के मात्रात्मक प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर निम्न होता जा रहा है। कुछ विशेष केन्द्रों को छोड़ दें तो अधिकांश शिक्षण संस्थायें परीक्षा के केन्द्र बनकर रह गई हैं। देश के लगभग सभी बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को तत्काल ऐसे सुधार की आवश्यकता है जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे सके और भविष्य में बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा ऐसी हो जो बालक में समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ईमानदारी व निष्ठा के साथ पूर्ण करने की योग्यता प्रदान कर सके।

जिस प्रकार भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व उसके लिए सुदृढ़ आधार का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार प्रारम्भिक 6–14 वर्षों तक दी जाने वाली शिक्षा द्वारा बालक के सर्वांगीण व समुचित विकास के लिए आधार का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा बालक की भावी शिक्षा की आधारशिला का कार्य करती है। शिक्षा आयोग (1964–65) ने अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा को दो स्तरों में–निम्न प्राथमिक स्तर (1 से 5 कक्षा तक) तथा उच्च प्राथमिक स्तर (6 से 8 कक्षा तक) विभाजित किया है।

2 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

सभी शिक्षाविद् एवं नीति–र्निमाता इस बात पर सहमत हैं कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण घटक है। आर्थिक संकट, मूल्य संकट से मुक्त होने के लिए शिक्षा में निवेश नितांत आवश्यक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research and Training) द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन दस वर्षीय विद्यालयी पाठ्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य उल्लेखित हैं–

- विचार–विनमय के लिए मातृभाषा का ज्ञान प्रदान करना।
- प्रक्रियात्मक क्रियाओं के सहयोग से स्वतंत्र अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना।
- नैतिक व्यक्तित्त्व के गुण, नेतृत्त्व की भावना, दयालुता, ईमानदारी, समन्वय, सहिष्णुता, सहकारिता का विकास करना।
- व्यावहारिक कार्यों के लिए संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा व भाग का पर्याप्त ज्ञान देना।
- विज्ञान व तकनीकी का महत्त्व को समझाना।
- भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना।
- स्व–श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ज्ञान प्रदान करना।
- स्व–अध्ययन की आदत का विकास करना।
- स्वावलम्बनता सिखाना।

15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा के दायित्व को सहर्ष स्वीकारते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में संविधान के लागू होने के समय से दस वर्षों के अन्दर 14 वर्ष तक आयु के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे प्राप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक योजनाएँ भी बनाई व क्रियान्वित की गई है लेकिन दुर्भाग्यवश आज स्वतन्त्रता के 68 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी यह लक्ष्य पूर्णरूप से प्राप्त नही है।

3 प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए को रखने में कुछ प्रमुख बाधाएँ

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए को रखने में कुछ प्रमुख बाधाएँ अनुभव की गई हैं जो कि शिक्षाविदों द्वारा ध्यान दिए जाने योग्य हैं–

3.1 शिक्षा जीवन से सम्बन्ध स्थापित करने में अक्षम

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, उनमें व्यावहारिक ज्ञान के स्थान पर सैद्धान्तिक ज्ञान पर ही बल दिया जाता है; जिसके कारण शिक्षा जीवन से सम्बन्ध स्थापित करने में अक्षम है। पाठ्यक्रम का एक वृहद भाग केवल विषय सामग्री को रटकर परीक्षा देने तक ही सीमित रह जाता है। पाठ्यक्रम में दिए जाने वाले ज्ञान की उपयोगिता नगण्य है। प्रो. यशपाल की रिपोर्ट (2009) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के आरम्भिक वर्षों में ही विद्यार्थियों के आक्रांत हो जाने का एक कारण पाठ्यक्रम का दुर्बोध होना है।

सूचनाओं एवं ज्ञान के विस्फोट के फलस्वरूप पुस्तकों में अधिक से अधिक सूचनाएँ भर दी जाती हैं; साथ ही पाठ्यक्रम में सुधार के नाम पर उसका स्तर बढ़ा दिया जाता है तथा अनेक ऐसे विषयों का समावेश कर दिया जाता है जिसे उस स्तर के बालक समझ नहीं पाते। ऐसी अवस्था में रटने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता और छात्र के ज्ञान में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। वर्तमान में व्यावहारिकता की समस्या में सुधार के लिए पाठों में प्रयोगात्मकता पर बल दिया जा रहा है किन्तु फिर भी समस्या यथावत् विद्यमान है। प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध न होने तथा शिक्षकों में इच्छाशक्ति न होने के कारण विद्यालयों में प्रयोगात्मक विषय भी प्रयोग के अभाव में सैद्धान्तिक रूप से पढ़ा दिए जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' प्रारम्भिक कक्षाओं में समझ के साथ पढ़ना–लिखना और गणित कार्यक्रम की भूमिका में भी पाठ्यक्रम के नीरस होने की समस्या को स्वीकार किया गया है। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट 'शिक्षा बिना बोझ के' (1993) में भारत के विद्यालयों में निरर्थक और नीरस शिक्षा और कक्षा में बच्चों की समझ या बोध के अभाव को प्रभावी रूप से उजागर किया है।

विद्यालयों में छात्रों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को देना भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सका है। शिक्षा के अधिकार के चयनित मानकों को पूर्ण करने में भी अभी अनेक विद्यालय सक्षम नहीं हो सके हैं। कक्षाओं में शिक्षक–छात्र अनुपात अधिक होता है। अनेक निजी विद्यालयों में एक शिक्षक एक कक्षा में 60 से अधिक छात्रों को पढ़ा रहे है, वहीं कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें दो या तीन कक्षा के विद्यार्थी एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मिश्रित कक्षा और छात्रों की अधिक संख्या शिक्षा की गुणवत्ता को कम करने का एक प्रमुख कारण है। पेयजल व शौचालय की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराने में अनेक विद्यालय सक्षम नहीं हैं।

तालिका संख्या 1: शिक्षा के अधिकार के चयनित मानकों को पूर्ण करने में सक्षम विद्यालय

% विद्यालय जो शिक्षा के अधिकार के निम्नलिखित मानकों को पूरा करते हैं:		2010	2011	2012	2013
PTR और CTR	छात्र–शिक्षक अनुपात (PTR)	38.9	40.8	42.9	45.3
	कक्षा–शिक्षक अनुपात (CTR)	76.2	74.3	73.7	73.8
भवन	कार्यालय/भंडार/कार्यालय सह भंडार	74.1	74.1	73.5	76.3
	खेल का मैदान	62.0	62.8	61.1	62.4
	चारदीवारी/बाड़	51.0	53.9	54.7	56.3
पेयजल	पेयजल की कोई सुविधा नहीं	17.0	16.7	16.7	15.2
	सुविधा है परन्तु पेयजल उपलब्ध नहीं	10.3	9.9	10.3	11.1
	पेयजल उपलब्ध	72.7	73.5	73.0	73.8
	कुल	100	100	100	100
शौचालय	शौचालय की कोई सुविधा नहीं	11.0	12.2	8.5	7.2
	सुविधा है परन्तु शौचालय प्रयोग करने योग्य नहीं	41.8	38.9	35.2	30.2
	शौचालय प्रयोग करने योग्य	47.2	49.0	56.4	62.6
	कुल	100	100	100	100
लड़कियों के लिए शौचालय	लड़कियों के लिए कोई अलग शौचालय की सुविधा नहीं	31.2	22.7	21.4	19.3
	सुविधा है परन्तु ताला लगा था	18.7	15.0	14.2	13.6
	सुविधा है, ताले से बंद नहीं था परन्तु प्रयोग करने योग्य नहीं	17.2	18.7	16.4	13.9
	सुविधा है, ताले से बंद नहीं था और प्रयोग करने योग्य	32.9	43.7	48.1	53.3
	कुल	100	100	100	100
पुस्तकालय	कोई पुस्तकालय नहीं	37.4	28.7	24.1	22.9
	पुस्तकालय है परन्तु सर्वेक्षण के दिन बच्चों द्वारा किताबों का कोई उपयोग नहीं	24.7	29.1	32.2	36.4
	सर्वेक्षण के दिन पुस्तकालय की किताबों का बच्चों द्वारा उपयोग	37.9	42.2	43.8	40.7
	कुल	100	100	100	100
मध्यान भोजन	मध्यान भोजन बनाने के लिए रसोई सुविधा	82.1	83.7	84.3	87.0
	सर्वेक्षण के दिन विद्यालय में मध्यान भोजन परोसा गया	84.6	87.5	87.0	87.2

स्रोतः 'असर वार्षिक रिपोर्ट–2013'

3.2. योग्य शिक्षकों का अभाव

शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण योग्य शिक्षकों का अभाव है। शिक्षण एक पवित्र कार्य है, इसके लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। अपने इस उत्तरदायित्व को समझने वाले शिक्षक देश की आवश्यकता हैं। येन–केन प्रकारेण डिग्रियाँ अर्जित कर शिक्षक बन जाने वाले शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को कम करते हैं। सीमित साधन होने के कारण अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों पर चुनाव तथा जनसंख्या गणना, मध्याह्न भोजन का वितरण, अभिलेखों का रख–रखाव आदि अतिरिक्त कार्य–भार होने से शिक्षण कार्य बाधित होता है तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर कुप्रभाव पड़ता है। वहीं प्रायः निजी विद्यालयों में शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है और अधिक कार्य लिया जाता है जिससे उनकी शिक्षण क्षमता प्रभावित होती है। शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं नवाचारों से अवगत होने की व्यवस्था बहुत

कम स्थानों पर है। कुछ शिक्षक तो सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति, सूचना प्रौद्योगिकी, सतत् मूल्यांकन, आदि से अनभिज्ञ हैं।
शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में रूचि न लेना, उत्तरदायित्व की भावना न होना, शिक्षा में परिवर्तन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न होना, नवाचार के प्रति जागरूकता का अभाव आदि ऐसी सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं जो शिक्षकों में देखी गई है, जिनके कारण शिक्षा की गुणवत्ता कम होती है। कई राज्यों में वर्षों से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं किन्तु उन पर नियुक्ति नहीं हो सकी है (तालिका संख्या–2)। नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल व लम्बी है कि नियुक्ति में बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। इसका एक नवीन उदाहरण उत्तर प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है। यह नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2011 से हो रही है किन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। ऐसे में सर्व शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना तथा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना स्वप्नवत् ही अनुभव होता है।

तालिका संख्या 2: 'शिक्षकों के अधिक रिक्त पदों वाले राज्य'

State	Teacher vacancies against total post sanctioned Under SSA	Vacancies against total post sanctioned under State programme	Total teacher vacancies
Uttar Pradesh	124,196	145,334	269,539
Bihar	166,877	52,189	219,066
West Bengal	62,212	42,988	105,200
Jharkhand	39,539	29,624	69,163
Odhisha	1,917	54,186	56,103
Chhattisgarh	10,314	44,378	54,692

Source: Ministry of Human Resource Development, Government of India

Education For All

3.3.0. विद्यालय में छात्र–शिक्षक उपस्थिति औसत कम

पढ़े भारत (2015) रिपोर्ट के अनुसार उपस्थिति बढ़ने के साथ अधिगम क्षमता भी बढ़ती है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन अधिक है किन्तु विद्यार्थियों की उपस्थिति का औसत विगत वर्षों से कुछ कम हुआ है। सन् 2012 में छात्रों की उपस्थिति का औसत 73 के लगभग था जो बढ़ने के स्थान पर सन् 2013 में घटकर 72 के लगभग हो गया है (तालिका संख्या–3)। इसके लिए पाठ्यक्रम का सैद्धान्तिक होना, रूचिकर न होना, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहयोगी न होना एवं विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव आदि कारण हो सकते हैं। शिक्षकों के उपस्थिति औसत में स्थिरता है। प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने के लिए कक्षा में उपस्थिति के औसत को बढ़ाना आवश्यक है।

अवलोकन से देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में निजी कोचिंग संस्थानों के खुल जाने से अभिभावक विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश तो कराते हैं किन्तु पढ़ने के लिए उन्हें निजी कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। विद्यालय केवल परीक्षा कराने का ही कार्य करते हैं, फलस्वरूप बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। यह प्रचलन शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है; वहीं ग्रामीण परिवेश में बालक प्रोत्साहन, निर्धनता, जागरूता में कमी, घरेलू काम, कृषि कार्य तथा आजीविका कमाने के कारणों से विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हैं।

तालिका संख्या 3: 'छात्रों व शिक्षकों की वर्षवार उपस्थिति'

विद्यालय का प्रकार	कक्षा I-IV/V				कक्षा I-VII/VIII			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
% नामांकित बच्चे उपस्थित (औसत)	72.9	71.0	71.4	70.7	73.4	72.0	73.1	71.8
% शिक्षक उपस्थित (औसत)	87.1	87.2	85.2	85.5	86.4	86.7	85.4	85.8

स्रोतः 'असर' वार्षिक रिपोर्ट–2013'

3.4.0 जनसंख्या में वृद्धि

शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना भी है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास जनसंख्या विस्फोट के कारण 'ऊँट के मुँह में जीरा' के समान होते हैं अर्थात् बहुत कम रह जाते हैं। अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, किन्तु उतनी संख्या के अनुपात में साधन एवं सुविधाएँ सुलभ नहीं होते। यह समस्या सरकारी व निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में विद्यमान है।

असर (2013) की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा दो के 60 प्रतिशत छात्र तथा कक्षा 5 के 47 प्रतिशत छात्र मिश्रित कक्षा में पढ़ रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या बहुत है। एकल विद्यालयों में एक शिक्षक द्वारा दो से तीन कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ एक कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में गुणवत्ता कम होना स्वभाविक है।

3.5.0. अभिभावकों का असहयोग

भारत में शिक्षा के प्रति जागरूकता का प्रतिशत बहुत कम है; अधिकांश माता–पिता अशिक्षित या बहुत कम पढ़े–लिखे हैं और शिक्षा के महत्त्व से अनभिज्ञ हैं। ग्रामीण परिवेश, निर्धन, पिछड़े व दलित वर्ग के अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीन होना शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला अन्य प्रमुख कारण है। ऐसे अभिभावक बालकों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में नहीं होते और यदि किसी प्रकार विद्यालय में प्रवेश दिला भी दें तो शिक्षा को नियमित व सुचारू रूप से पूर्ण करने में इनका सहयोग बहुत कम ही मिल पाता है। वहीं कई अभिभावक ऐसे हैं जो कि दोनों ही कार्यरत हैं, ऐसे में वे बालकों की

शिक्षा में अपना वांछनीय योगदान नहीं दे पाते हैं, जिससे गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

3.6. समुदाय की उदासीनता
समुदाय तथा शिक्षा के मध्य गहरा सम्बन्ध है। समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका सर्वविदित है तथा समाज के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। वर्तमान शिक्षा समाज से दूर होती जा रही है, न तो समाज के द्वारा शिक्षा को वांछनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है और न ही शिक्षा द्वारा समाज की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। समाज से दूर होकर शिक्षा की व्यावहारिकता कम हो गई है तथा शिक्षा मूल्यविहीन व गुणविहीन हो गई है।

3.7. शिक्षा का निजीकरण
प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को प्राप्त है। शिक्षा के निजीकरण ने एक ओर सरकार को शिक्षा के दायित्व से मुक्त किया है लेकिन दूसरी ओर निजी संस्थानों को शिक्षा को व्यवससाय बनाने की स्वतंत्रता भी मिल गई है, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। वर्तमान में अच्छी निजी संस्थाओं का अभाव है जो कि शिक्षा के सभी मानकों पर सफल हों। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश निजी विद्यालय मात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के केन्द्र बनकर रह गए हैं। आर्थिक लाभ के लिए यहाँ न तो योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है और न ही छात्रों की शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जा रहा है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ अप्रशिक्षित अध्यापकों से शिक्षण कार्य कराया जाता है। कुछ शिक्षकों की योग्यता मात्र इण्टरमीडिएट ही होती है। ऐसे में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना संभव नहीं हो सकता।

3.8. सरकार की इच्छाशक्ति में कमी
सरकार के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रमों, नीति तथा योजनाओं की घोषणाएँ होती हैं किन्तु उनके क्रियान्वयन में शिथिलता दिखाई देती है, जिसका कारण भ्रष्टाचार और इच्छाशक्ति में कमी है। ये योजनाएँ प्रायः वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए दिवा स्वप्न ही प्रतीत होती हैं। अनेक विद्यालयों के रिक्त पद तथा आवश्यक सुविधाओं का अभाव सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन की शिथिलता को दर्शाते हैं।

3.9. परामर्श एवं मार्गदर्शन का अभाव
शिक्षा की गुणवत्ता में एक प्रमुख बाधा छात्रों को सही समय पर उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन का न मिल पाना भी है। प्रारम्भ से ही बालक की रूचि, योग्यता एवं आवश्यकता को पहचानकर यदि उसे विषयों के चयन, विषय को समझने में आने वाली बाधाओं तथा लक्ष्य के निर्धारण के लिए उचित परामर्श प्राप्त हो सके तथा समय–समय पर शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के मार्गदर्शन मिल सके तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

3.10. उत्तरदायित्व का प्रश्न
छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसका है? यह प्रश्न अनुत्तरित है। सभी गुणवत्ता के प्रश्न पर एक–दूसरे पर उत्तरदायित्व डालते हैं। यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व अभिभावक का है जिनसे सहयोग की अपेक्षा की जाती है या शिक्षक का जो कि छात्र के भविष्य का निर्माता है अथवा स्वयं छात्र को जिम्मेदार होना चाहिए या फिर सरकार पर ही सारा उत्तरदायित्व है क्योंकि उस पर ही शिक्षा की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का भार है। सभी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करके ही शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है।

4. भारत में सरकार द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास

4.1. संविधान में प्रावधान
26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही सरकार भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। पंचवर्षीय योजनाएँ व शिक्षा नीतियों के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

4.2. नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार द्वारा शिक्षा की संरचना में आमूल–परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के हेतु 1987–88 में 'ऑपरेशन ब्लैक–बोर्ड' (Operation Black Board) कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा मानवीय एवं भौतिक संसाधन में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया। ऑपरेशन ब्लैक–बोर्ड की योजनानुसार यह निर्धारित किया गया कि–

विद्यार्थियों के खेलने की सामग्री
- चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, श्यामपट्ट
- अध्ययन के लिए आवश्यक अन्य सामग्री
- न्यूनतम दो शिक्षक
- पुस्तकें व विद्यालयों में उपयोग में आने वाली न्यूनतम आवश्यक सामग्री
- प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में दो बड़े कक्ष

'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' एक सांकेतिक शब्द है, जिसके अन्तर्गत ब्लैक–बोर्ड अर्थात् अध्यापन के लिए आवश्यक सामग्री समाविष्ट है। इसके लिए अर्थाभाव समस्या नहीं बनना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा कर्त्तव्य सुनिश्चित किया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सफलता के आयाम तक पहुँचाने के लिए विद्यालयों को आवश्यक अनुदान की व्यवस्था की जाए। 1986 की नीति में यह कार्यक्रम निम्न प्राथमिक स्तर तक था; 1992 में इसे उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी लागू कर दिया गया।

4.3. 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'
सन् 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'(District Primary Education Programme, DPEP) प्रारम्भ किया गया। इसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक, यूरोपीय कमीशन, यू.के. के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग व यूनिसेफ और नीदरलैंड के द्वारा दिया जाने वाला विदेशी अनुदान प्रयोग में लाया जाता है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नवजीवन का संचार कर सर्वसुलभ शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति करना रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य समुदाय की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के लिए संवेदनशीलता बनाए रखना है। कार्यक्रम के घटकों में नए विद्यालयों और कक्षाओं का निर्माण, अनौपचारिक/वैकल्पिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना, नए अध्यापकों की नियुक्ति, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, राज्य स्तरीय अनुसंधान केन्द्र और प्रशिक्षण परिषद् (C.E.R.T.), जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T.), का सशक्तिकरण प्रखंड (ब्लॉक) संसाधन केन्द्र, अध्यापक प्रशिक्षण अध्यापन सामग्री का विकास, वंचित समूहों, बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि हेतु शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल, विकलांग बच्चों को समन्वित शिक्षा देने हेतु पहल एवं अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सुदूर (दूरस्थ) शिक्षा को भी डी.पी.ई.पी. योजना में सम्मिलित किया गया।

डी.पी.ई.पी.बाहरी सहायता से चलने वाला कार्यक्रम है। इस परियोजना 85 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं शेष 15 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान विदेशों से प्राप्त सहायता के माध्यम से आता है। इस कार्यक्रम की निगरानी 'आवधिक निगरानी मिशनों' जैसे संयुक्त समीक्षा अभियान, परियोजना प्रबंधन प्रणाली (P.M.I.S.), शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (E.M.I.S.), कार्यक्रम प्रभाव अध्ययन इत्यादि के माध्यम से की जाती है।

4.4. मध्याह्न भोजन व्यवस्था

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषणिक कार्यक्रम को मध्याह्न भोजन व्यवस्था (Mid-Day Meal) के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में सबसे बड़े विद्यालय भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। यह योजना 15 अगस्त, 1995 में प्रारम्भ की गई और सितम्बर 2004 में निम्नलिखित उद्देश्यों के अन्तर्गत इसमें संशोधन किया गया–

प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5 तक) की सभी के लिए अनिवार्यता; जिसमें नामांकन, उपस्थिति एवं विद्यालय न छोड़ना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर (विशेषतः पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी) में सुधार

- ❖ प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर में सुधार
- ❖ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी के अवकाश के दिनों में भी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पोषणिक स्तर में सुधार

इस योजना में पहली से पाँचवी कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिसकी पौष्टिकता 450 कैलोरी और प्रोटीन की क्षमता 8 से 12 ग्राम हो।यह योजना सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू है। 1 अप्रैल 2008 से इसमें सम्पूर्ण देश के सभी क्षेत्रों के शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक एवं नवप्रवर्तक शिक्षा केन्द्रों के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह कार्यक्रम विकेन्द्रीकृत विधि से ग्राम पंचायतों, ग्रामीण शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबन्धन समितियों तथा अभिभावक–शिक्षक संघ आदि स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम की निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर स्थाई जाँच समितियों का गठन किया गया है। खाद्यान्न का समय से वितरण और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिससे मात्रा, गुणवत्ता और समय से आपूर्ति से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करके विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 'असर' वार्षिक रिपोर्ट–2013' के राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के दिन 87. 2 प्रतिशत विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरित होता पाया गया। इस वर्ष 2014 में, 14 राज्यों में, अवलोकित विद्यालयों में यह प्रतिशत बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है, जो कि इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को दर्शाता है।

4.5. जनशाला कार्यक्रम

1998 में सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, और पाँच संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं–यूनाइटेड नेशन्स डिवेलपमेंट प्रोग्राम (UNDP), यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रनस् इमरजेन्सी फंड (UNICEF), यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइन्सटिफिक एण्ड कल्चरल ऑरगनाइजेशन (UNESCO), यूनाइटेड नेशन्स फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टविटीस् (UNFPA), इन्टरनेशनल लेबर ऑरगनाइजेशन (ILO) के सहयोग से पंचवर्षीय 'जनशाला कार्यक्रम' को प्रारम्भ किया गया। इसका लक्ष्य विशेषतः लड़कियों व निर्धन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाना था। यह कार्यक्रम सन् 2002 तक के लिए 9 राज्यों के 139 खंडों में चलाया गया था।

4.6. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा (Education For All; E FA) की योजना को नवम्बर 2000 में स्वीकृति दी गई तथा जनवरी 2001 में इसको प्रारम्भ किया गया; इसका लक्ष्य सन् 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा सन् 2007 तक सभी बालकों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना सुनिश्चित किया गया था। 1 अप्रैल, 2001 में 'शिक्षा गारन्टी योजना' (Education Guarantee Scheme; EGS) तथा वैकल्पिक एवं नई शिक्षा योजना (AIE) के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया।

ई.जी.एस. योजना मुख्य रूप से भारत के वंचित वर्ग के बालकों–बाल श्रमिकों, सड़कों पर जीवन–यापन करने वाले बालकों, प्राकृतिक दृष्टि से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों और 6 वर्ष से ज्यादा उम्र के बालकों के लिए निर्मित की गई है। इसमें ऐसे दुर्गम या पर्वतीय क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ एक किलोमीटर की सीमा में कोई औपचारिक विद्यालय न हो तथा विद्यालय न जाने वाले 6–14 वर्ष के 10–25 बालक मौजूद हों। इस प्रावधान से देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है (चित्र संख्या–1)।

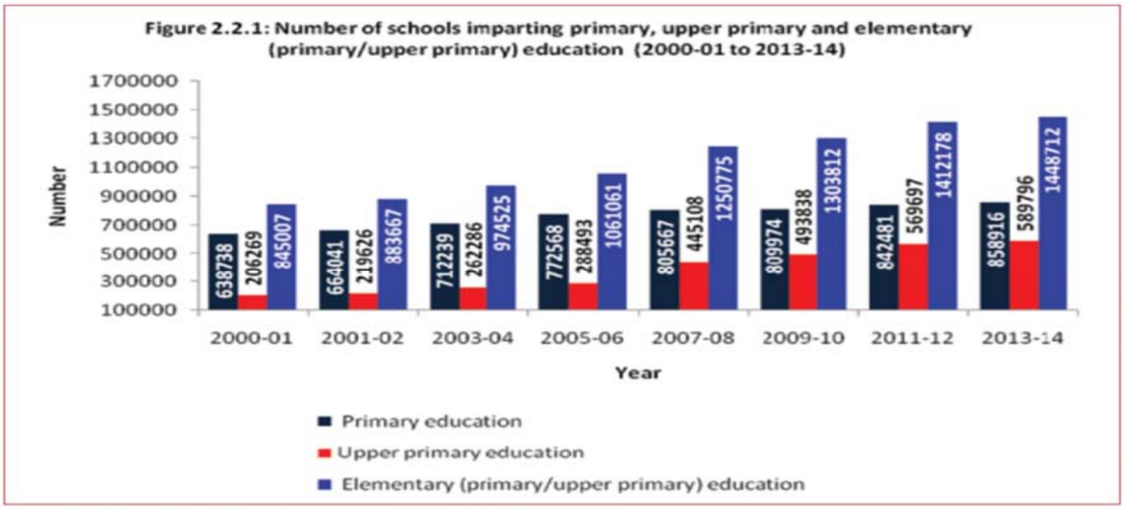

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; U-DISE, NUEPA.

चित्र संख्या 1: 'देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या'

ई.जी.एस. और ए.आई.ई. योजनाओं के अन्तर्गत देश भर में किशोरावस्था की बालिकाओं पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सन् 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002) में 6–14 वर्ष के उन सभी बालकों को जिन्होंने विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिया है या प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई बीच मे छोड़ दी है; के लिए सेतु पाठ्यक्रम चलाने पर बल दिया गया जिससे सर्व शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। समय बीतने के साथ इसकी लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि सीमा को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में यह सीमा सन् 2015 तक लक्ष्य प्राप्त करने की थी।

छियासिवें संविधान अधिनियम, 2002 में संविधान के भाग–3 में एक नया अनुच्छेद 21–क समाविष्ट किया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में समाविष्ट किया गया ।

4.7.0 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम

86वें संविधान संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु 4 अगस्त, 2009 में संसद द्वारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालय में आठवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्राप्त करने का अधिकार है (चित्र संख्या–2)।

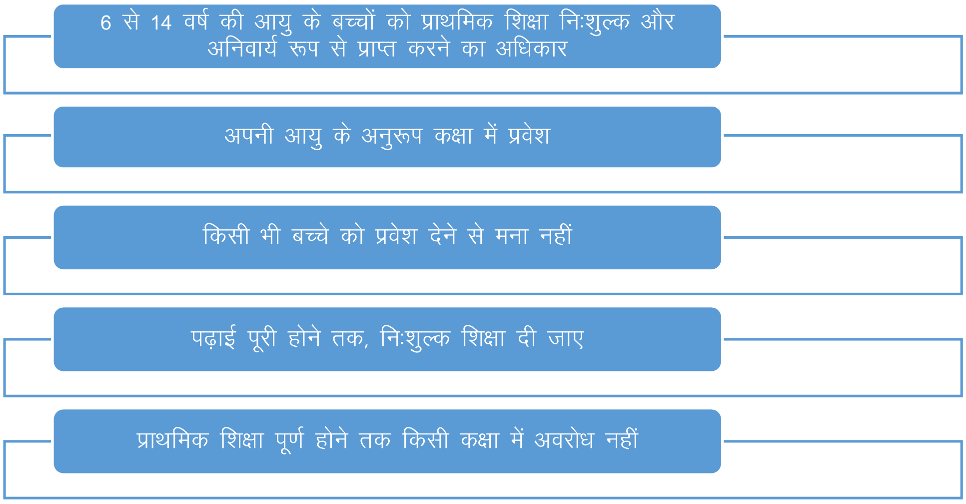

चित्र संख्या 2: 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम'

यदि कोई बच्चा 6 वर्ष आयु तक किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती, उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे किसी कक्षा में रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी।

सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाएँ।

सर्व शिक्षा अभियान, ई.जी.एस., ए.आई.ई. योजनाओं तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दी है। वर्ष 2001 में लड़कों का नामांकन प्रतिशत 64.0 था, वह वर्ष 2014 में 68.6 हो गया है तथा वर्ष 2001 में लड़कियों का नामांकन प्रतिशत 49.8 था, वह वर्ष 2014 में 63.6 हो गया है (चित्र संख्या–3)।

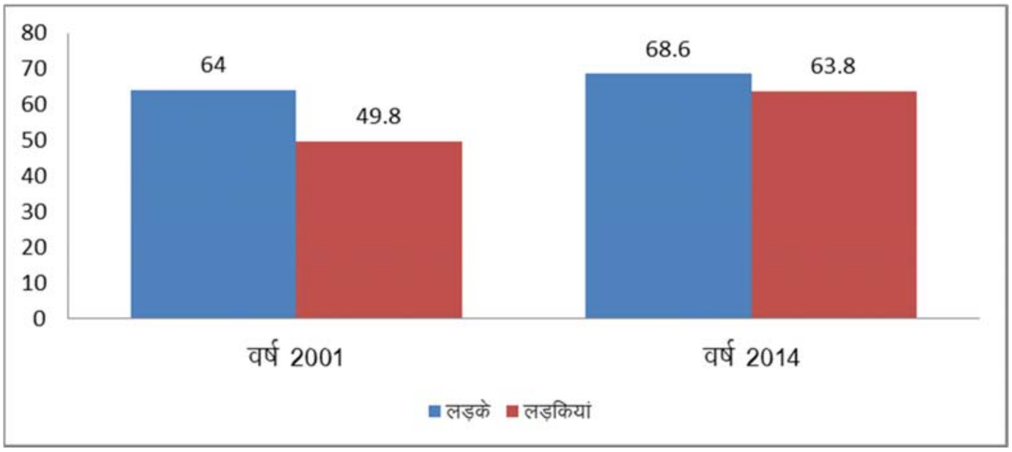

चित्र संख्या 3: 'विद्याथियों का नामांकन प्रतिशत'

जहाँ वर्ष 2001 में हमारे देश में साक्षरता की दर 64.84, प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2011 में 72.99 आँकी गई है (चित्र संख्या–4)।

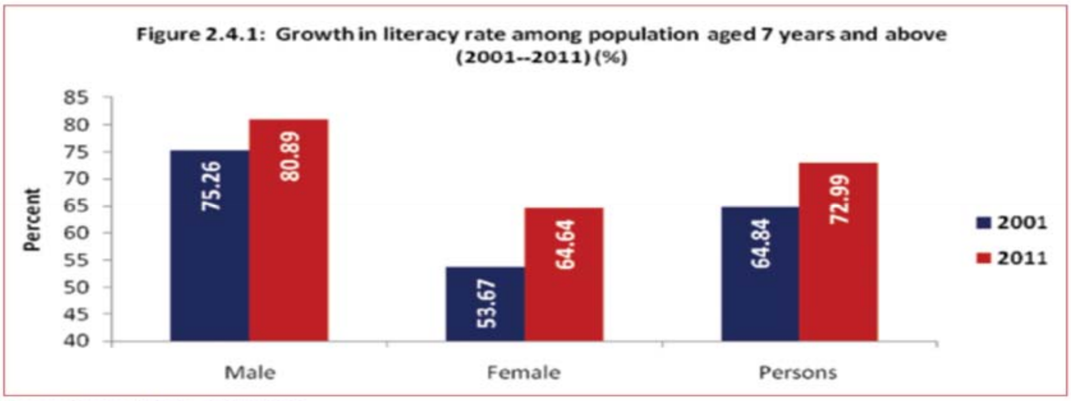

Source: Census of India, 2001 & 2011

चित्र संख्या 4: 'देश में साक्षरता का प्रतिशत'

4.8. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीबी) के नाम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए जुलाई 2004 से यह योजना आरंभ की गई थी; अप्रैल 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसका विलय कर दिया गया। इस योजना से प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है।

5. गुणवत्ता की समस्या

वर्तमान में यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए कुशल जनशक्ति का निर्माण करने की अपनी भूमिका को ठीक से निर्वाह करने में असफल हो रही है। देश में एक ओर कौशल सम्पन्न लोगों की भारी कमी अनुभव की जा रही है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों एवं अर्द्ध बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा अनेक योजनायें घोषित कर शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की गई है जिसके फलस्वरुप शिक्षा में परिणामात्मक वृद्धि तो हो रही है पर अब समस्या गुणवत्ता की है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक यह समस्या विद्यमान है। संख्या की दृष्टि से विद्यालयों व महाविद्यालयों में वृद्धि सराहनीय है, छोटे–छोटे गाँवों व कस्बों में भी विद्यालय खोले जा रहे हैं किन्तु ये विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता व न्यूनतम योग्यता स्तर को बनाये रखने में कितने सक्षम हैं, यह एक प्रश्न है। कुछ अपवादों को छोड़कर गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। 15 जनवरी 2014 में नवीं वार्षिक असर (2013) की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पिछले वर्ष से बच्चों के पढ़ने की क्षमता में कोई विशेष प्रगति नहीं दिख रही है।

असर की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा सफलता प्राप्त हुई है किन्तु अब प्रश्न गुणवत्ता का है। निजी व सरकारी विद्यालयों के स्तर को समान व ऊँचा करने के लिए त्वरित व गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। संतोषजनक शिक्षण स्तर सुनिश्चित किए बिना शिक्षा की गांरटी अर्थहीन है। यदि प्राथमिक शिक्षा में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो इससे देश में समानता और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

6. सुझाव

6.1. उत्तरदायित्व की भावना का विकास

यदि सार रूप में देख जाए तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा दायित्व का बोध न होना है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किसी एक को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। शिक्षक, परिवार, समाज, सरकार ये सभी समान रूप से शिक्षा में योगदान देते हैं। अतः यदि सभी में उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है।

6.2. शिक्षकों के चयन व नियुक्तियों के सही मानदंड बनाने की आवश्यकता

शिक्षा के वार्षिक स्तर की रिपोर्ट (एएसईआर 2013) के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चार में से तीन शिक्षक पाँचवी कक्षा के स्तर के प्रतिशत निकालने वाले प्रश्नों का हल नहीं कर सके। शंकर (2015) के अनुसार शिक्षकों के चयन, नियुक्तियों के सही मानदंड बनाने की आवश्यकता है। शिक्षक कम भी हों मगर अच्छे व निष्ठावान ही होने चाहिए। शिक्षा का स्तर संभालने में यह आधारभूत बिन्दु है। शिक्षा में छोटी–बड़ी सभी नियुक्तियों तक गंभीरता होनी आवश्यक है, जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा संबधी विषयों में रहती है। दोनों का एक जैसा ही महत्त्व है।

शिक्षकों को स्थाई नौकरी, पर्याप्त वेतन प्रदान किया जाए जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या में सुधार ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। शिक्षकों से गैर–शिक्षकीय कार्य लेना बन्द किया जाए। शिक्षकों को समय–समय पर गोष्ठी, सम्मेलन आदि के द्वारा नवाचारों से अवगत कराया जाए। कर्त्तव्य निर्वाह न करने वाले शिक्षकों व अधिकारियों पर त्वरित कार्यवाही व दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। फर्जी अंकपत्र व उपाधि से नियुक्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों की पहचान करके आवश्यक दण्ड दिया जाए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। शिक्षक बनने के लिए उत्साही, विषय–निपुण, तथा सेवा–भाव के रूझान वाले युवाओं के चयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए जो यांत्रिक नहीं अपितु रचनात्मक हो।

6.3. निजी विद्यालयों में व्यापार–उद्योग चलाने जैसी प्रवृत्ति पर रोक

शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसे लाभ का व्यवसाय समझना गलत है। इस पर समाज व सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। निजी विद्यालयों में व्यापार–उद्योग चलाने जैसी प्रवृत्ति पर रोक लगायी जाए। मात्र धन कमाने की प्रवृत्ति रखने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊँचा करके निजी विद्यालयों की मनमानी को रोका जा सकता है। निजी कोचिंग संस्थानों को बन्द किया जाना चाहिए।

6.4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पुनरावलोकन

गुरूचरण (2015) ने अपने लेख में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी परिवर्तन का सुझाव दिया है। उनके अनुसार समस्या 2009 में बनाए गए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में है। आरटीई कानून पढ़ाई जाने वाली चीजों के परिणाम और गुणवत्ता पर बिल्कुल मौन है। इसमें यह माना गया है कि बच्चों की उपलब्धि की समीक्षा का बच्चों पर दबाब पड़ेगा और इस विचार ने विद्यार्थियों की शिक्षा की परीक्षा के महत्त्व को कम कर दिया है। परिणामस्वरूप बच्चों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा (16) में प्रावधान है कि किसी बच्चे को आठवीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। इसके पीछे सिद्धान्त तो अच्छा है कि कमजोर बच्चों को नालायक घोषित करने के स्थान पर विद्यालय उन पर विशेष ध्यान दे व उसकी प्रगति का उत्तरदायित्व वहन करे तथा बच्चों को अपनी–अपनी गति के अनुसार पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। किन्तु इस नियम को लागू करने से पहले आवश्यक है कि विद्यालयों में बच्चों पर ध्यान देने के लिए योग्य व पर्याप्त संख्या में शिक्षक हों तथा पढ़ाई ठीक से हो, अन्यथा इस प्रावधान से शिक्षा की गुणवत्ता कम होती जाएगी।

6.5. अभिभावकों को जागरूक व सहयोगी बने रहने की प्रेरणा

माता–पिता व अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक व सहयोगी बनाने के लिए विचार–गोष्ठी, अभिभावक सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए एवं समय–समय पर उनके अभिमतों व उपयोगी सुझावों का प्रयोग विद्यालय की कार्य–प्रणाली में किया जाना चाहिए, जिससे वे स्वयं को विद्यालय के बाहर का हिस्सा न समझें। अभिभावक सम्मेलन एवं विचार–गोष्ठी औपचारिकतापूर्ण न हों अपितु उनके द्वारा अभिभावकों को जागरूक व सहयोगी बने रहने की प्रेरणा दी जाए।

6.6. सरकार व समाज के सहयोग की भूमिका महत्त्वपूर्ण

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने में सरकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। सरकार द्वारा शिक्षा के लिए की गई घोषणाओं एवं बनाई गई नीतियों व योजनाओं का भली–भाँति क्रियान्वयन करना सबसे बड़ा कर्त्तव्य है जिससे शिक्षा का गुणवत्ता स्तर ऊँचा हो सकता है, परन्तु बिना समाज के सहयोग के यह कार्य संभव नहीं है। समाज को भी अपना दायित्व समझकर आगे आना होगा। अनेक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) यथा–प्रथम, बोध शिक्षा समिति, एकलव्य, अँगना, अक्षरा, कथा, गूँज, दीपालय, फोर्टी फाउन्डेशन, के साथ कई व्यापार और उद्योग घरानों जैसे– अंबानी फाउन्डेशन, अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन, जागरण समूह द्वारा गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय हैं, इन्हें और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

नई पीढ़ी के नवयुवाओं द्वारा निजी क्षेत्रों की लाभप्रद नौकरियों का त्याग करके या अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जरूरतमंदों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने के समाचार शिक्षा को सुलभ व गुणवत्तापरक बनाने के प्रयासों की सुखद अनुभूति कराते हैं। इस आशा की किरण रूपी सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने और बनाए रखने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा को मानवीय, सर्वांगीण, विकासोन्मुख, बहुमुखी, समानतापूर्ण एवं आनंददायक बनाया जा सके।

7. सन्दर्भ सूची

1 Akshara_Annual_Report_2014 retrived on http//: www.akshara.ac.in November 14, 2015

2 allindia_hindi asar report on education retrived on http//: www.asar.orgNovember 14, 2015

3 EFA-Review-Report-final.pdf mhrd elementry edu. history retrived on http//: www.mhrd.com November 13, 2015

4 जी. दास. (2015), 'शिक्षा की शर्मनाक हकीकत';दैनिक जागरण, अक्तूबर 2, आगरा।

5 Mukherjee & Mukherjee;(2008) "*Primary Education*", The Icfai University Press, Hederabad

6 Padhe_Bharat_Badhe_Bharat-Hindi retrived on http//: www.mhrd.gov.inNovember 14, 2015

7 Read_India_National_Report_2014-15 retrived on http//: www.educationforallinindia.com, November 15, 2015

8 एस. शंकर (2015), 'गड़बड़ियों की शिक्षा';दैनिक जागरण, मई 15, आगरा।

9 Srivastava and Tomar (2005) "*Elementary Education*",Isha Books,Delhi

10 www.yojna.gov.in

11 www.mdm.in

12 www.ssa.nic.in

13 www.usief.org.in

14 www.educationforallinindia.com